कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2019–20 दिनांक : 29.11.2019

Most Urgent

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक –मुख्यालय

विषय : शालादर्पण पोर्टल पर छात्रवृत्ति मॉड्यूल में विभिन्न छात्रवृत्तियों के आवेदनों के Final Submit / Lock के उपरांत रही कमियों को ठीक करने हेतु पोर्टल को अन्तिम दिनांक 29.11.2019 से बढाकर 03.12.2019 तक खोलने के सम्बन्ध में।
प्रसंग:– इस कार्यालय के पत्र क्रमांक दिनांक:–25.11.2019,29.11.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि शालादर्पण पोर्टल पर छात्रवृत्ति आवेदन करते समय गलत प्रविष्ठि को ठीक करने हेतु एवं Un-Lock रहे आवेदनों को Lock करने हेतु शालादर्पण पोर्टल को अन्तिम दिनांक 29.11.2019 से बढाकर 03.12.2019 तक समस्त विद्यालयों को Un-Lock किया गया है। गलत प्रविष्ठी (केटेगरी,जेण्डर तथा कक्षा) वाले आवेदन एवं Un-Lock वाले आवेदनों को लाल रंग से दर्शाया गया है।

अतः समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने शालादर्पण पोर्टल पर Scholarship Tab में एक Pending/Wrong Scholarship Application Monitoring का Option का बटन दिया गया है, जिसमें आप अपने जिले की उन विद्यालयों की सूची देख सकते हैं, जिनके द्वारा छात्रवृत्ति मॉड्यूल में गलत प्रविष्ठी (केटेगरी,जेण्डर तथा कक्षा) वाले आवेदन एवं Un-Lock वाले आवेदन प्रदर्शित होते है, सूची के अनुसार संस्थाप्रधानों से व्यक्तिशः सम्पर्क कर आवेदनों में रही कमियों को शालादर्पण पोर्टल पर दिनांक 03.12.2019 तक आवश्यक रूप से संशोधित करवाना सुनिश्चित करें। इस हेतु आप अपने अधीनस्थ समस्त संस्था प्रधानों को तत्काल आवश्यक दिशा–निर्देश जारी करें।

किसी भी परिस्थिति में यदि कोई पात्र विद्यार्थी किसी भी कारण से वंचित रहता है तो उसका समस्त दायित्व आप का होगा। वंचित रहने की स्थिति में आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शासन को प्रस्तावित की जावेगी।

संलग्न : **User Manual (o2)**

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–मा / छाप्रोप्र / ए / शालादर्पण / 2018–19 दिनांक : 29.11..2019

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. तकनीकी निदेशक,शालादर्पण NIC,Jaipur से निवेदन है कि शालादर्पण पर छात्रवृत्ति संशोधन मॉड्यूल विद्यालय स्तर पर करणीय कार्य हेतु दिनांक 03.12.2019 से Un-Lock करने बाबत।
2. समस्त संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (CDEO's)को निर्देशित किया जाता है कि आप अपने अधिनस्थ मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी उक्त आदेशों की पालना हेतु पाबंद करें
4. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।
5. अनुभाग अधिकारी, शालादर्पण पर अपलोड करने बाबत।
6. रक्षित पत्रावली

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर